तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **रामदयाल बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार औसियां)** सू.अ.अ. अपील संख्या 219 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-07-2022	अपीलार्थी रामदयाल निवासी ग्राम पंचायत उमादेशर, पोस्ट चांदरख तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.02.2022 में (1) ग्राम उमादेसर पं.स. बावडी के खसरा नम्बर 51 का अमीनों द्वारा की गई पैमाईश से लेकर आज दिनांक 19.02.2022 तक बंटवाड़ा कितनी बार हुआ व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से जरिये पत्रांक 308 दिनांक 15.07.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि वर्तमान में ग्राम उमादेशर तहसील क्षेत्र बावड़ी के क्षेत्राधिकार में आता है जिसकी सेंटलमेंट से आज दिनांक तक की जमाबंदिया तहसील बावड़ी से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है। तहसीलदार औसियां की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के आवेदन पत्र पर पांच माह तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना का निस्तारण एक माह के भीतर किया जाना पड़ता तथा यदि किसी अन्य कार्यालय से संबंधित है तो उसके लोक सूचना अधिकारी को धारा 6(3) के तहत अन्तरित करने का प्रावधान है, परन्तु तहसीलदार औसियां द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करना विधिक प्रावधानों को आत्मसात् न करने का फल है। अतः तहसीलदार औसियां को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना यदि तहसील कार्यालय बावड़ी से संबंधित है तो अब वहां से सूचना 15 दिवस में मंगवाकर प्रार्थी को उपलब्ध करावे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	